जिला हाथकरघा कार्यालय

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2005

बिन्दुवार जानकारी

भल्ला कॉलोनी, ए. बी. रोड़, सारंगपुर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

बिन्दु क्रमांक 1 – बी : कार्यालय के प्रत्येक कक्ष के कार्य एवं कर्तव्य

क्रमांक	कक्ष	कार्य संपादन
01	स्थापना	सभी प्रकार के अवकाश, सेवानिवृत्ति पेंशन, वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिकाओं का संधारण ।
02.	लेखा	आहरण एवं संवितरण, जी.पी.एफ., यात्रा देयक, चिकित्सा देयक आदि का कार्य ।
3.	योजना	केन्द्र, जिला स्तरीय एवं केन्द्र प्रवर्तित राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वनयन, मानिटरिंग, वार्षिक जिला स्तरीय योजनाओं में आबंटित बजट का उपयोग एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रस्ताव तैयार करवाना तथा स्वीऔति हेतु प्रक्रिया का पालन करना । भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति एवं उपलब्धि सम्बन्धी समंकों का संकलन एवं संग्रहण व प्रगति से जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर अवगत कराना । वार्षिक, मासिक सांख्यिकी समंकों का संकलन एवं संधारण ।
4.	वसूली कक्ष	कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं शासकीय सहायता से प्राप्त ऋण राशि की वसूली सम्बन्धित जानकारी एवं पंजी का संधारण एवं सम्बन्धित संस्थाओं को ऋण राशि के भुगतान बाबत् वार्षिक मांगपत्र जारी करना ।
5.	तकनिकी कक्ष	बुनकर सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण तथा उन्हें तकनिकी मार्गदर्शन देना, उत्पादन सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण, बुनाई प्रशिक्षण एवं इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना का क्रियान्वयन ।
6.	विधि कक्ष	विधि विधान सम्बन्धी कार्य, संस्थाओं के पंजीयन की प्रक्रिया का सम्पादन, मासिक अर्द्धशासकीय पत्र, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन व प्रगति गोकूल ग्राम प्रकल्प योजना का क्रियान्वयन व प्रतिमाह प्रगति की जानकारी तैयार करना ।

क्रमांक	कक्ष	कार्य संपादन
7.	हाथकरघा कलस्टर क्लब	ग्रामोद्योग विभाग की चार नवीन योजनाओं, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन । नवीन तकनीक व नवीन डिजाईन से हाथकरघा वस्त्रों का उत्पादन करवाना एवं उसके विक्रय की व्यवस्था करना । नवीन डिजाईन एवं विकसित कार्यप्रणाली सम्बन्धी कार्य, वस्त्रों के उत्पादन हेतु सूत की व्यवस्था तथा क्लब के स्टोर का संचालन ।

<u>बिन्दु क्र. 2 - कार्यालय में पदस्थ प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद एवं आवंटित कार्य</u>

क्रमांक	नाम	पद	वेतन	पता	कर्तव्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	**श्री शारिक हुसैन अंसारी**	सहायक संचालक (तकनीकी)	रू.16646/-	आदर्श नगर सांरगपुर जिला राजगढ़	विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन संस्थाओं का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन, कार्यालय सम्बन्धि प्रशासकीय कार्यो का सम्पादन एवं नियंत्रण । आहरण एवं वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य ।
02	**श्री के. सी. कासलीवाल**	वरिष्ठ निरीक्षक (हाथकरघा)	रू. 13541/-	श्री बाबूलालजी जैन चक्की वाले भल्ला कॉलोनी सारंगपुर	कार्यालय के समस्त कक्षों की नस्तियों को अपने माध्यम से सहायक को प्रस्तुत करना तथा सभी कक्षों के कार्य को समयावधि में सम्पन्न कराना तथा कार्यालय प्रमुख के अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख का चार्ज एवं कार्य सम्पादन करना ।
3.	**श्री मूरसलीम अंसारी**	निरीक्षक (तकनीकी)	रू. 10135/-	पटेलवाड़ी गली नं. 1 नूर मोहम्मद , का मकान, सारंगपुर	आवक-जावक, हाथकरघा कलस्टर क्लब का उत्पादन केन्द्र सारंगपुर तकनिकी कक्ष का प्रभार

4.	**श्री मोहम्मद अंसार**	सहायक , निरीक्षक (तकनिकी)	रू. 8625/-	अमन खेल कल्लू भाई अंसारी का मकान सारंगपुर	विधि कक्ष का प्रभार कलस्टर क्लब उत्पादन केन्द्र पढ़ाना
5.	**श्री मकसूद अहमद**	सहायक निरीक्षक (तकनिकी)	रू. 8625/-	पटेल वाड़ी, इखलास भाई पार्षद का मकान, सारंगपुर	हाथकरघा कलस्टर क्लब **चौधरी** सारंगपुर का स्टोर एवं अन्य समस्त कार्य ।
6.	**श्री यू. पी. गार्गव**	सहायक निरीक्षक (हाथकरघा)	रू. 8798/-	द्वारा श्री कन्हैयालाल आरोरा कॉलोनी सारंगपुर	योजना कक्षा का प्रभार, वसूली कक्ष ।
7.	**श्री भेरूलाल पुष्पद**	सहायक ग्रेड-।।।	रू. 6296/-	थाने के पास गुरूद्वारा रोड़ सारंगपुर	स्थापना एवं लेखा कक्ष का प्रभार एवं कलस्टर क्लब का लेखा ।
8.	**श्री भागीरथ लववंशी**	चौकीदार	रू. 5550/-	लववंशी टेन्ट हाऊस, भारत पेट्रोल पम्प के पीछे, इन्दौर नाका, ए.बी. रोड़ सारंगपुर	कार्यालय की चौकीदारी करना ।
9.	**श्री रईस अहमद अंसारी**	भृत्य	रू. 4429/-	वार्ड क्र. 3, अमन खेल, देवकुआं मार्ग, सारंगपुर	कार्यालय की डाक आदि लगाना एवं कार्यालय में भृत्य सम्बन्धी कार्य करना ।

10.	श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी	भृत्य	रू. 4429/-	श्री अमरसिंह कोठार के मकान कोलीवाड़ा, सांरगपुर	----- " ------
11.	श्री रामप्रसाद गिरजे	पार्ट टाईम स्वीपर	रू. 1165/-	वार्ड क्र. 9 वाल्मिकी कॉलोनी सारंगपुर	कार्यालय की साफ-सफाई करना ।

बिन्दु क्रमांक 3- यू/एस 4.1 (बी) (।।।) अंतर्गत पदानुक्रम के आधार पर निर्णय व्यवस्था

सहायक

प्राप्त पत्र का प्रस्तुतिकरण 24 घण्टे के अंदर एवं अति आवश्यक पत्र (1 घण्टे में)

↓

कक्ष प्रभारी

प्राप्त पत्र का परीक्षण एवं प्रस्तुतीकरण अति आवश्यक प्रकरणों में प्रस्तुतीकरण (2 घण्टे में)

↓

सहायक संचालक

अंतिम निर्णय

बिन्दु क्रमांक 4 :-

अ. समय मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है । यू/एस 4.1 (बी) (पअ)

ब. गुणवत्ता मापदण्ड यदि संगठन द्वारा निर्धारित है ।

स. मात्रा लक्ष्य वर्ष में कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु ।

	सामान्य	अति आवश्यक
सहायक	24 घन्टे	1 घण्टा
कक्ष प्रभारी	2 दिन	2 घण्टा
सहायक संचालक	7 दिन	7 घण्टा

बिन्दु क्रमांक 5 - संचालनालय के संचालन से संबंधित नियम, अधिनियम, मेन्युअल, परिपत्र आदि की सूची यू/एस 4.1 (बी) ;अद्ध

अधिनियम - ---------------- निरंक ----------------

नियम - हाथकरघा क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना :-

राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना वर्ष 1991 से प्रदेश में संचालित है । इस योजना के प्रमुख अंग हाथकरघा प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण प्रदाय, अंशपूंजी ऋण, धनवेष्ठन, मार्जिन मनी, सामान्य सुविधा केन्द्र, कार्यालय सह गोदाम, अंशपूंजी अनुदान तथा लघु हाथकरघा इकाई की स्थापना हेतु बुनकरों को राशि उपलब्ध कराते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना है । प्रोजेक्ट पैकेज योजना के विभिन्न अंगों के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रशिक्षण :- प्रति हितग्राही को रूपये 250/- प्रतिमाह के मान से 6 माह प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । रूपये 90/- प्रति हितग्राही के मान से 6 माह के लिये राशि कच्चे माल के प्रदाय हेतु उपलब्ध कराई जाती है । सूत एवं खराब कपड़े की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 200/- प्रति हितग्राही राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा करघे अनुदान अन्तर्गत 1000/- रूपये के मान से अधिकतम 10 करघे स्थापित करने हेतु रूपये 10,000/- अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

2. उन्नत उपकरण :- बुनकरों को करघें स्थापित करने हेतु करघें तथा सहायक उपकरण प्रदाय करने का प्रावधान है । करघें हेतु रूपये 8000/- तक की सहायता दी जाती है जिसमें 50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।

3. धनवेष्ठन :- बुनकर सहकारी समितियों की जमा अंशपूंजी के तीन गुने तक ब्याज रहित ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

4. मार्जिन मनी :- समिति में जमा अंशपूंजी के 15 गुने, अधिकतम राशि रूपये 50,000/- तक ब्याज रहित ऋण के रूप में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति की समितियों को उपलब्ध कराई जाती है ।

5. अंश पूंजी ऋण :- रूपये 10/- के मान से 4 अंश हेतु राशि रूपये 40/- जमा करने पर 90/- के मान से अधिकतम 4 अंश पर रूपये 360/- तक प्रत्येक सदस्य को ब्याज रहित ऋण समिति को उपलब्ध कराया जाता है ।

6. अंश पूंजी अनुदान :- प्रति सदस्य रूपये 10/- जमा करने पर रूपये 90/- प्रति सदस्य के मान से एक अंश क्रय करने हेतु अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की समितियों को उपलब्ध कराया जाता है ।

7. सामान्य सुविधा केन्द्र :- स्वयं के मालिकाना हक की भूमि होने पर समिति को रूपये 60,000/-तक सहायता सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु दी जाती है । जिसमें रूपये 15,000/- अनुदान, रूपये 10,000/- धनवेष्ठन तथा रूपये 35,000/- ऋण के रूप में प्रदान की जाती है ।

8. कार्यालय सह गोदाम :- स्वयं के मालिकाना हक की भूमि होने पर कार्यालय सह गोदाम स्थापित करने के लिये अधिकतम रूपये 1.00 लाख तक की सहायता समितियों को उपलब्ध करायी जाती है। 75 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

9. लघु हाथकरघा इकाई :-

अ. लघु हाथकरघा इकाई पंजीबद्ध करने के लिये इकाई में कम से कम 5 करघे होना आवश्यक है । अधिकतम 20 करघे स्थापित करने के लिये रूपये 1500/- प्रति करघे के मान से लूम शेड अनुदान प्रदान किया जाता है । शेष राशि स्वयं इकाई द्वारा लगाई जायेगी ।

ब. पंजीबद्ध लघु हाथकरघा इकाई को रूपये 1500/- प्रति करघे के मान से अधिकतम 20 करघों हेतु रूपये 30,000/- तक की मार्जिन मनी ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

स. राष्ट्रीयऔत बैंक के ऋण पर सामान्य वर्ग के इकाई को 3 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की इकाई 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

राज्य प्रोजेक्ट पैकेज योजना जिला पंचायतों को वर्ष 2000 से स्थानांतरित की जा चुकी है ।

2. बाजार अध्ययन :- यह योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गयी है । बुनकरों को बाजार मांग के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु उन्हें अध्ययन भ्रमण, वस्त्र विक्रय हेतु मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन करने के लिये राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुरूप निगम, संघ एवं समितियों को सहायता स्वीऔत की जाती है । इस योजना का संचालन संचालनालय स्तर से किया जा रहा है ।

3. अनुसंधान एवं विकास :- यह योजना भी वर्ष 1998-99 में प्रारंभ की गयी है । हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यो के लिये राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीऔत की जाती है । यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है ।

4. ग्रमोद्योग प्लस योजना :- बुनकरों को अपनी नियमित आय के अतिरिक्त आय में बढाने हेतु अपने स्वामित्व के निवास में रिक्त भूमि पर पेड लगाने तथा उनकी सुरक्षा तथा खाद बीज हेतु प्रति बुनकर 3000रु का अनुदान दिया जाता है । जिसमें बुनकर का अंश 20 % होगा ।

5. व्यक्तिगत हाथकरघा बुनकरों हेतु सहायता :- यह योजना वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गयी है। निजी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे बुनकर हो किसी समिति के सदस्य नहीं है । उन्हें कार्यशील पूंजी, वर्कशेड एवं करघे क्रय करने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है । ऋण राशि वित्तीय संस्थाएं द्वारा स्वीऔत होने के उपरांत योजनान्तर्गत करघे एवं उपकरण क्रय हेतु 40,000/- तक अनुदान कार्यशील पूंजी हेतु 20,000/- तथा वर्कशेड निर्माण हेतु 7,000/- तक की सहायता स्वीऔत किये जाने का प्रावधान है ।

6. कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना :- उत्औष्ठ हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रूपये 10,000/- द्वितीय रूपये 5,000/- पुरूस्कार ।

चार नवीन योजनाएँ (राज्य)

1. एकीऔत कलस्टर विकास कार्यक्रम :- हाथकरघा क्षेत्र के जीवंत धरोहर के महत्वपूर्ण कलस्टरों के समग्र विकास करने तथा इन्हें पर्यटन केन्द्रों के रूप में भारत सरकार विभागों के समन्वय से विकसित करना ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके, जिससे रोजगार की संभावना में वृद्धि हों इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कलस्टरों में सड़कों/नालियों के निर्माण जल/विद्युत प्रदाय की व्यवस्था बुनकरों के स्वच्छ कार्य वातावरण हेतु आवास सह कर्मशाला, सामान्य सुविधा केन्द्र डिजाइन कम ट्रेनिंग सेंटर, डाय हाउस, प्रोसेस हाउस की सुविधाओं का विकास करने शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा ।

2. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग :- हाथकरघ एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है ।

3. स्पेशल प्रोजेक्ट :- हाथकरघा एवं हस्तशिलप के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएँ क्रियान्वयन हेतु एवं हाथकरघा वस्त्रों एवं हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिये देश/प्रदेश के प्रमुख नगरों में अरबनहाट, हेण्डलूम हवेली आदि के निर्माण के लिये राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह योजना प्रारंभ की गयी है ।

4. हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की योजना :- हाथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों को नियमित रोजगार प्रदान करने हेतु उनके उत्पादों की मांग बढाने एवं वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रमोशन नितांत आवश्यक है । अभिलेखीकरण के द्वारा किए गये विकास कार्यों को लिपिबद्ध करने से भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है ।

<u>केन्द्र सरकार की योजनाएं :-</u>

<u>दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना :-</u>

1. इस योजना में कार्यशील पूंजी, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, धनवेष्ठन प्रोसेस हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फर्निशिंग, सामान्य सुविधा केन्द्र, रंगाई घर के निर्माण, कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन सेन्टर, नेशनल फेशन टेक्नालॉजी इन्स्टीटयूट एवं बनुकर सेवा केन्द्र से सेवा लेने हेतु सहायता, हाथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार तथा प्राथमिक समितियों/शीर्ष संस्थाओं को उनकी औसत बिक्री के आधार पर 8 प्रतिशत तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान है । यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्ट पैकेज योजना बंद की जाकर वर्ष 2001 से प्रारंभ की गयी है । योजना में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दी जाती है ।

<u>2. निर्यात संवर्धन योजना :-</u> हाथकरघा बुनकरों के निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पाद, विकास एवं विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत रूपये 64.00 लाख तक की आर्थिक सहायता राज्य के शीर्ष संघ एवं निगम को उपलब्ध करायी जाती है । योजना में केन्द्र का हिस्सा 50 से 75 प्रतिशत तथा राज्य का हिस्सा 25-50 प्रतिशत तक का है ।

<u>3. वेलफेयर योजना :-</u> यह बुनकरों की कल्याणकारी योजना है, जिससे मितव्ययता निधि एवं समूह बीमा के लिये राशि उपलब्ध करायी जाती है । मितव्ययता निधि अनुदान अन्तर्गत बुनकर सदस्य द्वारा अपनी मजदूरी से 8 प्रतिशत राशि जमा करने पर 8 प्रतिशत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है जिसमें 4 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होता है । समूह बीमा योजनान्तर्गत जनश्री बीमा एवं एडऑन बीमा योजना लागू है । जनश्री बीमा योजनान्तर्गत बुनकर अंशदान राशि रू. 90/- है। जनश्री बीमा योजनान्तर्गत एक वर्ष के लिये बुनकर को राशि रू. 25,000/- तक की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित किया जाता है एवं एडऑन बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम देने पर बुनकर को 50,000/- तक की क्षतिपूर्ति हेतु बीमित किया जाता है ।

<u>4. हेल्थ पैकेज :-</u> इस योजनान्तर्गत गंभीर बीमारी जैसे टी. बी., अस्थमा, आहर नली से संबंधित बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आंखों की जांच, चश्मा, प्रसूती तथा नसबंदी हेतु सहायता प्रदान की जाती है। गंभीर बीमारी की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 1500/-, आंखों की जांच के लिये रूपये 40/-, चश्में हेतु 150/-, बोरवेल हेतु 35,000/-, प्रसूति हेतु रू. 500/- नसबंदी प्रोत्साहन रू. 100/- की सहायता दी जाती है ।

<u>5. कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला :-</u> इस योजनान्तर्गत बुनकर सहकारी समितियों को कर्मशाला एवं आवास सह कर्मशाला या जीर्णोद्वार हेतु अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है । सहायता की पात्रता केवल समिति सदस्यों को प्राप्त है । इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में इकाई मूल्य रू. 9000/-, अधिकतम अनुदान रूपये 7000/-, शहरी कर्मशाला इकाई मूल्य रूपये 14,000/-, अधिकतम अनुदान रूपये 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है । ग्रामीण क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूलय रूपये 35000/- अनुदान रूपये 18,000/- शहरी क्षेत्र में आवास सह कर्मशाला हेतु इकाई मूल्य 45000/- अनुदान रूपये 20000/- दिये जाने का प्रावधान है ।

औद्योगिक सहकारिता योजनाएँ :-

1. वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण

अ. अंशपूंजी ऋण :- प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूंजी को बढ़ाने हेतु सदस्य द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के तीन गुने तक की सहायता शासन ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है । इस प्रकार कार्यशील पूंजी में वृध्दि होने से समिति के पक्ष में सहकारी अधिकोष से साख सीमा की पक्षता में वृध्दि होती है ।

ब. मार्जिन मनी ऋण :- प्राथमिक समिति की सदस्य संख्या कम से कम 30 एवं प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 10,000/- उपलब्ध होने पर शासन द्वारा कार्यशील पूंजी बढाने हेतु रूपये 50,000/- तक ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

समिति को मार्जिन मनी ऋण प्राप्त होने से साख तारण सीमा में वृध्दि होती है व समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है ।

स. शासकीय धनवेष्ठन :- प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृध्दि हेतु शासन समिति के अंश क्रय कर राशि वेष्ठित करता है । यह राशि समिति के अंशपूंजी के 3 गुना तक सीमित है । समिति के सदस्यों को रूपये 10,000/- की अंशपूंजी एकत्र करना आवश्यक है ।

द. ब्याज अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को सहकारी अधिकोष से रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

इ. अंश क्रय अनुदान :- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को औद्योगिक सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु एक अंश क्रय करने हेतु रूपये 10/- जमा करने पर 90/- रू. अनुदान शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

2. संरचना उत्पादन एवं प्रक्रिया सहायता :-

अ. अवरूध्द पूंजी ऋण/अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, कर्मशाला निर्माण, उद्योग संचालन एवं आवश्यक उपकरण/संयंत्र क्रय करने हेतु शासन द्वारा समिति को प्रदत्त अंशपूंजी के 4 गुने तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इसकी अधिकतम सीमा राशि रू. 2.00 लाख है ।

3. प्रबंधन एवं पुनर्गठन सहायता :-

अ. प्रबंधकीय सहायता :- इस योजना के अनुसार प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिदिन के कार्य संचालन, माल संग्रह, नगद रकमों, सम्पत्तियों का हिसाब एवं संस्था के समस्त अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने हेतु संस्था को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में क्रमशः रूपये 8000, 5000, 3000, 2000 की शासकीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

ब. पुनर्गठन सहायता :- प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ जो कि अर्थाभाव, अपर्याप्त उत्पादन एवं व्यवसाय के अपरिहार्य कारणों से हानि में आकर निष्क्रिय हो जाती है । ऐसी अकार्यशील संस्थाओं को पुनः कार्यशील करने हेतु शासन द्वारा रूपये 30,000/- की सहायता दी जाती है ।

4. विपणन सहायता :-

विक्रय केन्द्र :- प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के उत्तरोत्तर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सुसंगठित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा विक्रय भण्डार संचालन एवं व्यवस्थापन के लिये रूपये 50,000/- से

रूपये 1,50,000/- तक की बिक्री पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में क्रमशः 6000, 3600, 2400 एवं 1.50 लाख से अधिक की बिक्री पर क्रमशः 10,000, 6,000, 4,000 की सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

5. प्रशिक्षण :- प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों की उत्तरोत्तर प्रगति में वैतनिक प्रबंधक, बिक्री प्रबंधक एवं लेखापाल आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है । अतः उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु सहकारी प्रशिक्षण के लिये रूपये 1000/- का अनुदान संस्था शासन को उपलब्ध कराया जाता है ।

मेन्युअल :- विभागीय मेन्युअल पृथक से तैयार किया गया है ।

परिपत्र :- परिपत्रों का समावेश विभागीय मेन्युअल में किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक 6 :- जिला कार्यालय में संधारित विभिन्न दस्तावेजों की विवरणिका यू/एस 4.1 (बी) (अप)

क्र.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का स्वरूप	दस्तावेज की अवधि
01	वार्षिक योजना	किताब	विभागीय योजना	वार्षिक
02	विभिन्न योजना संबंधी	रजिस्टर एवं नस्तियाँ	विभागीय योजनाएँ	10 वर्ष

बिन्दु क्रमांक 7-। - परामर्शदात्री समितियों का ढाँचा जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो ।

कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 8-। - मण्डल परिषद्, समिति इत्यादि (सदस्यों के नाम उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित) यू/एस 4.1 (बी) ;अपपपद्ध

कार्यालय से संबंधित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 9 :- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची (कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध) यू/एस 4.1 (बी) ;पगद्ध

क्रमांक	नाम	पद	पता
1.	2.	3.	4.
01.	श्री शारिक हुसैन अन्सारी	सहायक संचालक	आदर्श नगर, सारंगपुर
02.	श्री के. सी. कासलीवाल	वरिष्ठ निरीक्षक	श्री बाबूलाल जी जैन भल्ला कॉलोनी, सारंगपुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
03.	श्री मुरसलीम अंसारी	निरीक्षक (तकनिकी)	पटेलवाड़ी, गली नं. 1, नूर मोहम्मद का मकान, सारंगपुर
04.	श्री मोहम्मद अंसार	निरीक्षक (तकनिकी)	अमन खेल, कल्लू भाई अन्सारी का मकान, सारंगपुर
05.	श्री मकसूद अहमद चौधरी	सहायक निरीक्षक (तकनिकी)	पटेलवाड़ी, इखलास भाई पार्षद का मकान, सांरगपुर
06.	श्री यू. पी. गार्गव	सहायक निरीक्षक	द्वारा श्री कन्हैयालाल आरोरा कॉलोनी, सांरगपुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा)
07.	श्री भेरूलाल पुष्पद	सहायक	ग्रेड-3 थाने के पास, गुरूद्वारा रोड़, सारंगपुर

08.	श्री भागीरथ लववंशी	चौकीदार	लववंशी टेन्ट हाऊस भारत पेट्रोल पम्प के पीछे इन्दौर नाका, ए. बी. रोड़, सारंगपुर
09.	श्री रईस अहमद अंसारी	भृत्य	अमन खेल, देवकुआं मार्ग, सारंगपुर
10.	श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी	भृत्य	श्री अमरसिंह कोठार (एम. एल.ए.) के मकान कोलीवाड़ा, सारंगपुर
11.	श्री रामप्रसाद गिरजे	पार्ट टाईम स्वीपर	वार्ड नं. 9, वाल्मिकी कॉलोनी, सारंगपुर

प्रश्न क्रमांक 10 :- मासिक भुगतान एवं अनुग्रह कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध यू/एस 4.1 (बी) ;गद्ध

क्रमांक	नाम अधिकारी/कर्मचारी	मासिक वेतन
1.	2.	3.
01	श्री शारिक हुसैन अन्सारी	16646.00
02.	श्री के. सी. कासलीवाल	13541.00
03.	श्री मुरसलीम अंसारी	10135.00
04.	श्री मो. अंसार	08625.00
05.	श्री मकसूद अहमद चौधरी	08625.00
06.	श्री यू. पी. गार्गव	08798.00
07.	श्री भेरूलाल पुष्पद	06296.00
08.	श्री भागीरथ लववंशी	05550.00
09.	श्री रईस अहमद अंसारी	04429.00
10.	श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी	04429.00
11.	श्री रामप्रसाद गिरजे	01165.00

बिन्दु क्रमांक 11 - वार्षिक बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक कोषालय के डाटा बेस से संबंद्ध यू/एस 4.1 (बी) ;गपद्ध

क्र.	शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष	कुल आवंटन व्यय 9/05
	मांग संख्या 80			
1.	2851-110-5891	प्रोजेक्ट पैकेज हाथकरघा छपाई प्रशिक्षण उन्नत उपकरण कार्यालय सह गोदाम	2006-07	3.50
	योग (मांग संख्या 80)			3.50
	औद्योगिक			
	1. मांग संख्या 80			
	2851-110-0728	पुनर्गठन प्रबन्धन	2006-07	0.03
	महायोग			3.53
	स्टॉफ स्कीम एवं कार्यालय स्थापना हेतु व्यय			
	मांग संख्या 56			
	2851-103-2542	आयोजनेत्तर	2006-07	13.39
	2851-103-4787	आयोजना	2006-07	02.25
	योग			14.64

बिन्दु क्रमांक 12 :- कार्यक्रम एवं हितग्राही यू/एस 4.1 (बी) ;गपपद्ध

अ. योजना की सूची :- बिन्दु क्रमांक 5 में जानकारी दी गई है ।

ब. हितग्राहियों को चयन करने हेतु मापदण्ड :- बिन्दु क्रमांक 5 वर्णित योजनाओं में पात्रता की शर्तो अनुसार

बिन्दु क्रमांक 13 :- प्राप्तकर्ता की सूची एवं दी गयी छूट का स्वरूप यू/एस 4.1 (बी) ;गपपपद्ध

कार्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को छूट (कंसेशन) दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 14 :- कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएँ

क्र.	केटेगरी (वर्ग)	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म संख्या
1.	वार्षिक योजना	हार्डकापी	
2.	विभिन्न योजना संबंधी	हार्डकापी	

बिन्दु क्रमांक 15 :- उपलब्ध सुविधाएँ

कार्यालय में अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक 16 - लोक सूचना अधिकारी सहायक लोन सूचना अधिकारी पदनाम संबंध में जानकारी

क्र.	पद	नाम	पदनाम
1	लोक सूचना अधिकारी	श्री. शारिक हुसैन अंसारी	सहायक संचालक (तकनीकी)
2	सहायक सूचना अधिकारी	श्री. के. सी. कासलीवाल	वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा

बिन्दु क्रमांक 17 :- अन्य जानकारी जो देना चाहे ।

कार्यालय के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है ।